भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 530

09 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष केंद्रों की स्थापना

530. श्री पल्लब लोचन दास:

डॉ. सुकान्त मजूमदार:

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 100 आयुष औषधालय और 1000 आरोग्य केंद्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो इसके लिए क्षेत्रों का चयन मानदंड क्या है;

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में स्थित आयुष सुविधाओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सहित देश में उन्नयन किए गए आयुष शैक्षणिक संस्थानों की संख्या कितनी है और देश में, स्थापित आयुष औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषरूप से पश्चिम बंगाल में संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विश्व भर में जरूरतमंद रोगियों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयुर्वेद उपचार और कल्याण केंद्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) 'हील इन इंडिया' कार्यक्रम के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा बालुरघाट सहित देश में आयुष प्रणाली के विकास के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयुष औषधालयों और वेलनेस केंद्रों की स्थापना संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। हालांकि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, उस क्षेत्र में नए आयुष औषधालय स्थापित करने हेतु भवन निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है जहां आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, एनएएम के तहत, दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार, आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों के रूप में उन्नत की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं आयुष औषधालय और आयुष उप-केंद्र हैं। इस संबंध में, राज्यों में आयुष और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त अभ्यास के बाद राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारें एनएएम दिशानिर्देश के प्रावधान के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके आयुष औषधालयों और आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

(ख): प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में सह-स्थापित आयुष सुविधाओं की राज्य-वार संख्या **संलग्नक-I** पर दी गई है।

(ग): एनएएम के तहत, राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, 2014-15 से 2020-21 तक पश्चिम बंगाल सहित देश में उन्नयन के लिए समर्थित आयुष शैक्षणिक संस्थानों की संख्या और स्थापना के लिए समर्थित आयुष औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, **संलग्नक-II** पर दी गई है। हालाँकि, एनएएम के तहत एसएएपी के माध्यम से नए आयुष औषधि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

(घ): आयुष ग्रिड, आयुष मंत्रालय ने जनता के लिए आयुर्वेद से संबंधित विभिन्न जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आयुष क्लिनिकल केस रिपॉजिटरी पोर्टल, आयुसॉफ्ट, आयुष सूचना हब आदि जैसे विभिन्न एप्लिकेशन शुरू किए हैं। आयुष ग्रिड ने ऑनबोर्ड आयुर्वेद स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सकों और महाविद्यालयों से संबंधित जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए आयुष भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) एप्लिकेशन भी विकसित किया है।

(ड.): विदेश से भारत में इलाज कराने के इच्छुक लोगों के लिए विश्वसनीय जानकारी की सुविधा और आसानी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और आयुष मंत्रालय 'वन स्टेप' पोर्टल (हील इन इंडिया) विकसित करने के लिए प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक) और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी) के साथ काम कर रहे हैं। हील इन इंडिया पोर्टल भारत सरकार की एक पहल है। पोर्टल आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा में पेश किए जाने वाले उपचारों के लिए मूल्य पैकेजों के व्यापक कवरेज के साथ रोगी यात्रा की शुरूआत से अंत तक निगरानी, विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र और रोगी प्रतिक्रिया और विवरण शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

(च): आयुष मंत्रालय आयुष पद्धतियों के समग्र विकास और संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से बालुरघाट सहित पूरे देश में राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय आयुष मिशन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान करता है: -

(i) आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र
(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं का सह-स्थापना
(iii) मौजूदा एकल राजकीय आयुष अस्पतालों का उन्नयन
(iv) मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास पर) के लिए भवन का निर्माण/नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण
(v) 50/30/10 बिस्तरों वाले आयुष अस्पतालों की स्थापना
(vi) राजकीय आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और राजकीय/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी औषधियों की आपूर्ति
(vii) आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम
(viii) आयुष स्नातक-पूर्व और आयुष स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास।

(ix) उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना, जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एनएएम के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके पात्र वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। एनएएम दिशानिर्देशों को https://cdn.ayush.gov.in/wp-content/uploads/2022/11/National-Ayush-Mission-Guidelines.pdf पर देखा जा सकता है।

*****

संलग्नक-1

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में सह-स्थापित आयुष सुविधाओं की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	डीएच	सीएचसी	पीएचसी	कुल
1	बिहार	36	0	0	36
2	छत्तीसगढ़	18	98	454	570
3	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
4	जम्मू और कश्मीर	20	13	375	408
5	झारखंड	24	48	97	169
6	मध्य प्रदेश	36	98	289	423
7	ओडिशा	0	292	858	1150
8	राजस्थान	1	172	433	606
9	उत्तर प्रदेश	102	666	627	1395
10	उत्तराखंड	13	53	44	110
11	अरुणाचल प्रदेश	15	34	50	99
12	असम	0	0	0	0
13	मणिपुर	7	17	78	102
14	मेघालय	11	24	55	90
15	मिजोरम	12	9	9	30
16	नागालैंड	9	20	9	38
17	सिक्किम	4	1	4	9
18	त्रिपुरा	3	21	84	108
19	आंध्र प्रदेश	9	105	273	387
20	गोवा	2	6	24	32
21	गुजरात	0	0	860	860
22	हरियाणा	21	97	109	227
23	कर्नाटक	14	70	414	498
24	केरल	0	0	0	0
25	महाराष्ट्र	23	238	20	281
26	पंजाब	23	62	123	208
27	तमिलनाडु	20	385	475	880
28	तेलंगाना	5	46	479	530
29	पश्चिम बंगाल	16	213	222	451
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	4	20	27
31	चंडीगढ़	1	2	0	3
32	दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव	2	4	11	17
33	दिल्ली	0	0	0	0
34	लद्दाख	2	4	32	38
35	लक्षद्वीप	0	3	4	7
36	पुदुचेरी	4	4	39	47
समग्र भारत		**456**	**2809**	**6571**	**9836**

(i) राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत उन्नत आयुष शैक्षणिक संस्थानों की संख्या

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**स्नातकपूर्व संस्थान**	**स्नातकोत्तर संस्थान**
1	आंध्र प्रदेश	5	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	3	1
4	बिहार	1	2
5	छत्तीसगढ़	2	1
6	गुजरात	2	3
7	हरियाणा	1	0
8	जम्मू और कश्मीर	2	0
9	झारखंड	1	0
10	कर्नाटक	1	4
11	केरल	0	5
12	मध्य प्रदेश	8	1
13	महाराष्ट्र	2	3
14	मणिपुर	0	0
15	ओडिशा	5	2
16	पंजाब	2	0
17	पुदुचेरी	1	0
18	राजस्थान	2	0
19	सिक्किम	0	0
20	तमिलनाडु	11	1
21	तेलंगाना	4	2
22	त्रिपुरा	1	0
23	उत्तर प्रदेश	17	3
24	उत्तराखंड	2	1
25	**पश्चिम बंगाल**	**2**	**5**
कुल		75	34

(ii) देश में स्थापित आयुष औषध परीक्षण प्रयोगशालों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**आयुष औषध परीक्षण प्रयोगशाला**
1	आंध्र प्रदेश	1
2	मणिपुर	1
3	ओडिशा	1
4	उत्तर प्रदेश	1
कुल		**4**